उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974) (संशोधन) विधेयक, 2023
(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या वर्ष, 2023)

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974) (संशोधन) अधिनियम, 2023 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 9 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 9 की उपधारा (1) में ''बीस रूपये'' शब्द के स्थान पर ''ऐसी धनराशि जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय'' शब्द रख दिये जायेंगे।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

Statement of objects and Reason

For the welfare of advocates, such as group insurance of advocates arrangements for Bar Association buildings, library, canteen etc. and for the welfare of needy advocates, it is recommended by the Bar Council, Uttarakhand to increase the price of welfare ticket under the Uttar Pradesh Advocate Welfare Fund Act 1974, (as in force in Uttarakhand)

Therefore for this purpose amendment in the Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund Act, 1974 is inevitable for the welfare of the advocates.

2. The proposed Bill fulfills the above objective.

Pushkar Singh Dhami
Chief Minister

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

THE UTTARAKHAND (UTTAR PRADESH ADVOCATE WELFARE FUND ACT, 1974) (AMENDMENT) BILL, 2023

(Uttarakhand Bill No. of 2023)

A
BILL

further to amend the Uttar Pradesh Advocate Welfare Fund Act, 1974, in its application to the State of Uttarakhand.

Be it enacted by the State Legislature of Uttarakhand in the Seventy fourth year of the Republic of India as follows:-

Short title extent and Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand (Uttar Pradesh Advocate Welfare Fund Act, 1974) (Amendment) Act, 2023
(2) It extends to the whole of Uttarakhand
(3) It shall come into force at once.

Amendment of Section 9

2. (1) In sub-section (1) of Section 9 of the Uttar Pradesh Advocate Welfare Fund Act, 1974 (as applicable to the State of Uttarakhand) for the words "twenty rupees" the words "such amount as notified by the State Government from time to time" shall be substituted.

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

विधेयक के खण्डवार विवरणों का ज्ञापन

उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न न्यायालयों में विधि व्यवस्था में कार्यरत अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ अधिवक्ता स्टाम्प शुल्क में वृद्वि किये जाने हेतु उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974) (संशोधन) विधेयक 2023 को अधिनियमित किया जाना प्रस्तावित है:–

1. विधेयक की धारा 1 में विधेयक का संक्षिप्त नाम, विस्तार ओर प्रारम्भ के विषय में व्यवस्था करना प्रस्तावित है।
2. विधेयक की धारा 2 में अधिवक्ता कल्याण हेतु धारा 9 में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री।

विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजित ज्ञापन

उत्तराखण्ड राज्य के अधीन विभिन्न न्यायालयों में विधि व्यवसाय में कार्यरत अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 (यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

प्रस्वावित विधेयक की धारा ''9'' की उपधारा (1) में अधिवक्ता कल्याणकारी टिकट के मूल्य में वृद्वि किया जाना प्रस्तावित हैं, जो विधायी शक्तियों का सामान्य प्रत्यायोजन है।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

वित्तीय ज्ञापन

उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न न्यायालयों में विधि व्यवस्था में कार्यरत अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ अधिवक्ता स्टाम्प शुल्क में वृद्वि किये जाने हेतु उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 1974)(संशोधन) विधेयक 2023 को अधिनियमित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तावित विधेयक में राज्य की सचित निधि में किसी प्रकार का आवर्ती एवं अनावर्ती प्रकृति का भी कोई व्यय अन्तर्निहित नही हैं।

प्रमाणित पति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री।